

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :- 198/2018

अनवान मुकदमा -

1. आरीफ खां पुत्र नब्बु खां जाति मुसलमान साकिन 75000 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. कशमीर खां पुत्र नब्बु खां जाति मुसलमान साकिन 75000 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. जहांगीर पुत्र नब्बु खां जाति मुसलमान साकिन 75000 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. खुशींद खां पुत्र नब्बु खां जाति मुसलमान साकिन 75000 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. बशीर खां पुत्र नब्बु खां जाति मुसलमान साकिन 75000 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. सिकन्दर खां पुत्र नब्बु खां जाति मुसलमान साकिन 75000 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. हनीफ पुत्र नब्बु खां जाति मुसलमान साकिन 75000 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

- - प्रतिवादीगण

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 49 रा.का.अधि. बाबत घोषणा एवं विनिमय :-

-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता --- वादी
2. श्री नवीन जैन अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 5

-:: निर्णय :-

दिनांक - 08/06/2018

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 49 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार संहिता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है। वाद पत्र दो प्रतियों में शपथ पत्र में समर्पित प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 आपस में सगे भाई है तथा संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम से वर्तमान राजस्व अभिलेख में निम्नांकित कृषि भूमि है। मुताबिक प्रमाणित नकल जमाबंदी सम्बत् 2073-76 संलग्न वाद पत्र के अनुसार-

(क) वादी सं. 1 आरीफ खां के नाम से एकल स्वामित्व की कृषि भूमि-

चक	खाता	प0न0	किला	तादा
75000RD	3	67/355	24/3, 25/1	0.175 है0
		67/356	1/2 ता 5, 18/2, 21/3, 22/1	1.604 है0



08/06/2018
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

68/356 1/2 0.177 है०

कुल तादादी- 1.956 है०

(ख) प्रतिवादी सं. 1 जहांगीर खां के नाम से एकल स्वामित्व की कृषि भूमि-

चक	खाता	प०न०	किला	तादादी
75000RD	14	68/356	4/3 ता 7/1, 15/1 ता 17/1 24/1, 25/1	1.638 है०

(ग) वादी सं. 2 कश्मीर खां के नाम से एकल स्वामित्व की कृषि भूमि-

चक	खाता	प०न०	किला	तादादी
75000RD	8	67/355	22/1, 23/3	0.275 है०
		68/356	16/1 ता 20/2, 23/1, 24, 25	1.416 है०
		68/356	20/1, 21/1	0.380 है०
कुल तादादी-				2.071 है०

(घ) प्रतिवादी सं. 2 खुरशीद खां के नाम से एकल स्वामित्व की कृषि भूमि-

चक	खाता	प०न०	किला	तादादी
75000RD	8	67/355	19/1, 20/3, 21/1, 22/2	0.262 है०
		68/356	1/1, 2/1, 8/1 ता 13/1 18/1 ता 23/1	1.629 है०
कुल तादादी-				1.891 है०

(ङ) प्रतिवादी सं. 3 बशीर खां के नाम से एकल स्वामित्व की कृषि भूमि-

चक	खाता	प०न०	किला	तादादी
75000RD	29	67/355	23/4	0.078 है०
		67/356	11/2 ता 18/3	1.587 है०
		68/356	11/2	0.191 है०
कुल तादादी-				1.856 है०

(च) प्रतिवादी सं. 4 सिकन्दर खां के नाम से एकल स्वामित्व की कृषि भूमि-

चक	खाता	प०न०	किला	तादादी
75000RD	58	67/355	23/5, 24/4	0.175 है०
		67/356	6 ता 10/2, 21/4 22/2, 23/2	1.591 है०
		68/356	10/2	0.190 है०
कुल तादादी-				1.956 है०

(छ) प्रतिवादी सं. 5 हनीफ खां के नाम से एकल स्वामित्व की कृषि भूमि-

चक	खाता	प०न०	किला	तादादी
75000RD	61	67/355	20/4, 21/2	0.262 है०
		67/356	3/3, 7/2, 8/2, 13/2, 14/2, 17/2, 18/2,	

08/06/2022
उपजम्ह अधिकारी प्रोसेसिंग

23/2, 24/2 1.629

कुल तादादी- 1.891 है०

62 66/357 16/2 ता 24/1 1.139 है०

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है जिसका वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने काश्त की सुविधा के अनुसार अच्छी मंदा व खाला रास्ता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक बंटवारा किया हुआ है, जो निम्न प्रकार से है:-

(क) वादी सं. 1 आरीफ खां के नाम से एकल स्वामित्व की कृषि भूमि-

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	67/355	24/3/0.043, 25/1/0.126	0.169 है०
	67/356	1/0.227, 2 ता 5/1.012, 18/0.026 19/0.087, 20/0.079, 21/0.079, 22/0.087, 23/0.025	1.622 है०
	68/356	1/0.207	0.207 है०
			कुल तादादी- 1.998 है०

(ख) प्रतिवादी सं. 1 जहांगीर खां के नाम से एकल स्वामित्व की कृषि भूमि-

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	68/356	4/3/0.056, 5/3/0.048, 6/1/0.227, 7/1/0.133, 14/1/0.133, 15/1/0.227, 16/0.227, 17/0.133, 24/1/0.133, 25/1/0.227	कुल तादादी- 1.544 है०

(ग) प्रतिवादी सं. 2 कश्मीर खां के नाम से एकल स्वामित्व की कृषि भूमि-

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	67/355	22/1/0.119, 23/3/0.049,	0.168 है०
	67/356	16-17/0.506, 18/0.181, 23/0.182, 24-25/0.506	1.375 है०
	68/356	20/1/0.227, 21/1/0.227	0.454 है०
			कुल तादादी- 1.997 है०

(घ) प्रतिवादी सं. 3 खुर्शीद खां के नाम से एकल स्वामित्व की कृषि भूमि-

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	67/355	19/1/0.051, 20/3/0.032, 21/0.047 22/0.134	0.264 है०
	68/356	1/1/0.021, 2/1/0.227, 3/0.008 8/1/0.040, 9/0.253, 10/0.026, 11/0.026, 12/0.253, 13/0.040, 18/0.040, 19/0.253, 20/0.026, 21/0.026, 22/0.253, 23/0.040	1.532 है०

08/06/2018
उपजम्द अधिकारी पीलीपंजा

कुल तादादी- 1.796 है०

(ड) प्रतिवादी सं. 3 बशीर खां के नाम से एकल स्वामित्व की कृषि भूमि-

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	67/355	23/4/0.169	0.169 है०
	67/356	11/2/0.228, 12 ता 15/1.012, 18/0.046, 19/0.166, 20/0.149,	1.601 है०
	68/356	11/2/0.227	0.227 है०

कुल तादादी- 1.997 है०

(च) प्रतिवादी सं. 4 सिकन्दर खां के नाम से एकल स्वामित्व की कृषि भूमि-

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	67/355	23/5/0.022, 24/4/0.147	0.169 है०
	67/356	6 ता 9/1.012, 10/2/0.228, 21/0.148, 22/0.166, 23/0.046,	1.600 है०
	68/356	10/2/0.227	0.227 है०

कुल तादादी- 1.996 है०

(छ) प्रतिवादी सं. 5 हनीफ खां के नाम से एकल स्वामित्व की कृषि भूमि-

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	67/355	20/4/0.71, 21/2/0.181	0.252 है०
	68/356	3/3/0.168, 4/0.44, 7/2/0.120 8/2/0.213, 13/2/0.213, 14/2/0.120 17/2/0.120, 18/2/0.213, 23/2/213, 24/2/0.120	1.544 है०

कुल तादादी- 1.796 है०

(ज) वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम से एकल स्वामित्व की कृषि भूमि-

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	68/356	1/0.011, 2/0.011, 3/0.011, 4/0.011, 5/0.011, 6/0.011, 15/0.011, 16/0.011, 25/0.011	0.099 है०
	67/355	20/0.011, 21/0.025	0.036 है०

कुल तादादी- 0.135 है०

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का कब्जा वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि पर बिना किसी विवाद के चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने मुताबिक घरू बंटवारा के ही सफल काश्त की हुई है लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख में रकबा मुाबिक घरू बंटवारा एवं तबादला अनुसार दर्ज नहीं होने से वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है, इसलिए वादीगण वाद पत्र की दफा 3 में वर्णितानुसार कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने एवं भूमि का एकीकरण करने के लिए आपसी विनिमय करवाने के अधिकारी है। यह है कि मिन वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि वे वादीगण का

08/06/2022
जयपंत अधिकारी

मुताबिक घरू बंटवारा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा एवं विनिमय करवा देवे तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 कुछ दिन तो टालमटोल करते रहे, परन्तु आज से 5 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है बस यही वाद का हेतुक है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वाद वादी वाद की धारा 3 में अंकित कब्जानुसार आपसी विनिमय की डिक्री फरमाई जावे :-

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 08.10.2018 को वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। वादी ने स्टाम्प पर तहरीरशुदा शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादी व प्रतिवादीगण द्वारा आपस में पूर्ण खुशी व रजामंदी अनुसार हिन्दु विधि अनुसार राजीनामा प्रस्तुत हो चुका है। वाद में वर्णित भूमि पैतृक भूमि है। सभी पक्षकारों को संयोजित किया है, वादी ने वाद पत्र में किसी भी वारिस को छुपाया नहीं है। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

चूंकि वादीगण एवं परिववादीगण एक ही परिवार के सदस्य है इस कारण माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49(1) तथा राजस्थान काश्तकारी कानून (सरकारी) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार भूमि का अच्छी मंदा के आधार पर विनिमय किया जा सकता है।

-:: आदेश ::-

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है और उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से आपसी विनिमय का वाद वादीगण अच्छी मंदा के अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49(1) के अन्तर्गत आपसी विनिमय स्वीकार करते हुए निम्नानुसार भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण को धारा 88 सपठित 49(1) के प्रावधानों के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

21/10/2018
08/10/2018
राजस्थान न्यायालय एवं
उपजुड अधिकारी पीसिका

(क) वादी सं. 1 आरीफ खां -

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	67/355	24/3/0.043, 25/1/0.126	0.169 है०
	67/356	1/0.227, 2 ता 5/1.012, 18/0.026 19/0.087, 20/0.079, 21/0.079, 22/0.087, 23/0.025	1.622 है०
	68/356	1/0.207	0.207 है०
			कुल तादादी- 1.998 है०

(ख) प्रतिवादी सं. 1 जहांगीर खां -

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	68/356	4/3/0.056, 5/3/0.048, 6/1/0.227, 7/1/0.133, 14/1/0.133, 15/1/0.227, 16/0.227, 17/0.133, 24/1/0.133, 25/1/0.227	
			कुल तादादी- 1.544 है०

(ग) प्रतिवादी सं. 2 कश्मीर खां -

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	67/355	22/1/0.119, 23/3/0.049,	0.168 है०
	67/356	16-17/0.506, 18/0.181, 23/0.182, 24-25/0.506	1.375 है०
	68/356	20/1/0.227, 21/1/0.227	0.454 है०
			कुल तादादी- 1.997 है०

(घ) प्रतिवादी सं. 3 खुर्शीद खां -

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	67/355	19/1/0.051, 20/3/0.032, 21/0.047 22/0.134	0.264 है०
	68/356	1/1/0.021, 2/1/0.227, 3/0.008 8/1/0.040, 9/0.253, 10/0.026, 11/0.026, 12/0.253, 13/0.040, 18/0.040, 19/0.253, 20/0.026, 21/0.026, 22/0.253, 23/0.040	1.532 है०
			कुल तादादी- 1.796 है०

(ङ) प्रतिवादी सं. 3 बशीर खां -

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	67/355	23/4/0.169	0.169 है०
	67/356	11/2/0.228, 12 ता 15/1.012, 18/0.046, 19/0.166, 20/0.149,	1.601 है०
	68/356	11/2/0.227	0.227 है०

08/06/2021
सहायक कलेक्टर एवं
उपजिल्हा अधिकारी पीलीबंठा

कुल तादादी- 1.997 है०

(च) प्रतिवादी सं. 4 सिकन्दर खां -

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	67/355	23/5/0.022, 24/4/0.147	0.169 है०
	67/356	6 ता 9/1.012, 10/2/0.228, 21/0.148, 22/0.166, 23/0.046,	1.600 है०
	68/356	10/2/0.227	0.227 है०

कुल तादादी- 1.996 है०

(छ) प्रतिवादी सं. 5 हनीफ खां -

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	67/355	20/4/0.71, 21/2/0.181	0.252 है०
	68/356	3/3/0.168, 4/0.44, 7/2/0.120 8/2/0.213, 13/2/0.213, 14/2/0.120 17/2/0.120, 18/2/0.213, 23/2/213, 24/2/0.120	1.544 है०

कुल तादादी- 1.796 है०

(ज) वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 बहिब-

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	68/356	1/0.011, 2/0.011, 3/0.011, 4/0.011, 5/0.011, 6/0.011, 15/0.011, 16/0.011, 25/0.011	0.099 है०
	67/355	20/0.011, 21/0.025	0.036 है०

कुल तादादी- 0.135 है०

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

(रणजीत कुमार) कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आ०-20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस

मुकदमा संख्या :- 198/2018

अनवान मुकदमा -

1. आरीफ खां पुत्र नब्बु खां जाति मुसलमान साकिन 75000 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. कशमीर खां पुत्र नब्बु खां जाति मुसलमान साकिन 75000 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. जहांगीर पुत्र नब्बु खां जाति मुसलमान साकिन 75000 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. खुर्शीद खां पुत्र नब्बु खां जाति मुसलमान साकिन 75000 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. बशीर खां पुत्र नब्बु खां जाति मुसलमान साकिन 75000 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. सिकन्दर खां पुत्र नब्बु खां जाति मुसलमान साकिन 75000 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. हनीफ पुत्र नब्बु खां जाति मुसलमान साकिन 75000 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

- - प्रतिवादीगण

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा:-

-:: निर्णय ::-

दिनांक - 08/06/2022

वादीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 5 की ओर श्री नवीन जैन, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49(1) के अन्तर्गत आपसी विनिमय स्वीकार करते हुए निम्नानुसार भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण को धारा 88 सपठित 49(1) के प्रावधानों के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

(क) वादी सं. 1 आरीफ खां -

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	67/355	24/3/0.043, 25/1/0.126	0.169 है०
	67/356	1/0.227, 2 ता 5/1.012, 18/0.026	
		19/0.087, 20/0.079, 21/0.079,	
		22/0.087, 23/0.025	1.622 है०

08/06/2022
राजस्थान सरकार एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

68/356 1/0.207 0.207 है०
कुल तादादी- 1.998 है०

(ख) प्रतिवादी सं. 1 जहांगीर खां -

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	68/356	4/3/0.056, 5/3/0.048, 6/1/0.227, 7/1/0.133, 14/1/0.133, 15/1/0.227, 16/0.227, 17/0.133, 24/1/0.133, 25/1/0.227	
			कुल तादादी- 1.544 है०

(ग) प्रतिवादी सं. 2 कश्मीर खां -

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	67/355	22/1/0.119, 23/3/0.049,	0.168 है०
	67/356	16-17/0.506, 18/0.181, 23/0.182, 24-25/0.506	1.375 है०
	68/356	20/1/0.227, 21/1/0.227	0.454 है०
			कुल तादादी- 1.997 है०

(घ) प्रतिवादी सं. 3 खुशीद खां -


चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	67/355	19/1/0.051, 20/3/0.032, 21/0.047 22/0.134	0.264 है०
	68/356	1/1/0.021, 2/1/0.227, 3/0.008 8/1/0.040, 9/0.253, 10/0.026, 11/0.026, 12/0.253, 13/0.040, 18/0.040, 19/0.253, 20/0.026, 21/0.026, 22/0.253, 23/0.040	1.532 है०
			कुल तादादी- 1.796 है०

(ङ) प्रतिवादी सं. 3 बशीर खां -

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	67/355	23/4/0.169	0.169 है०
	67/356	11/2/0.228, 12 ता 15/1.012, 18/0.046, 19/0.166, 20/0.149,	1.601 है०
	68/356	11/2/0.227	0.227 है०
			कुल तादादी- 1.997 है०

(च) प्रतिवादी सं. 4 सिकन्दर खां -

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	67/355	23/5/0.022, 24/4/0.147	0.169 है०
	67/356	6 ता 9/1.012, 10/2/0.228, 21/0.148, 22/0.166, 23/0.046,	1.600 है०


सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

68/356 10/2/0.227 0.227 है०
कुल तादादी- 1.996 है०

(छ) प्रतिवादी सं. 5 हनीफ खां -


चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	67/355	20/4/0.71, 21/2/0.181	0.252 है०
	68/356	3/3/0.168, 4/0.44, 7/2/0.120 8/2/0.213, 13/2/0.213, 14/2/0.120 17/2/0.120, 18/2/0.213, 23/2/213, 24/2/0.120	1.544 है०
			कुल तादादी- 1.796 है०

(ज) वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 बहिब-

चक	प०न०	किला	तादादी
75000RD	68/356	1/0.011, 2/0.011, 3/0.011, 4/0.011, 5/0.011, 6/0.011, 15/0.011, 16/0.011, 25/0.011	0.099 है०
	67/355	20/0.011, 21/0.025	0.036 है०
			कुल तादादी- 0.135 है०

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थंगन नही हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 08/06/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रणजीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा